"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 अगस्त 2017 — भाद्रपद 7, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-10/2007/1-7 (PF-2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) तृतीय श्रेणी सेवा नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 7 में, शब्द "शासन" के स्थान पर, शब्द " नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 11 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

   "(2) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा."

3. अनुसूची-एक में, सरल क्रमांक 9, 10 एवं 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये.

4. अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 9, 10 एवं 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये.

5. अनुसूची- तीन में, -

   (क) सरल क्रमांक 3 के तत्स्थानी कॉलम क्रमांक 4 में, अंक एवं शब्द "35 वर्ष" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "30 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

   (ख) सरल क्रमांक 4, 5 एवं 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये.

6. अनुसूची-तीन के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"टीप :- ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी."

7. अनुसूची-चार में, सरल क्रमांक 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 3-10/2007/1-7 (PF-2).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-8-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

Naya Raipur, the 29th August 2017

NOTIFICATION

No. F 3-10/2007/1-7 (PF-2). — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) Class-III Service Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 7, for the word "Government", the words "Appointing Authority" shall be substituted.

2. In rule 11, in sub-rule (2), for clause (ii), the following shall be substituted, namely :-

"(ii) The selection of candidates for the service shall be made by the Selection Committee."

3. In Schedule-I, serial numbers 9, 10 and 11 and entries relating thereto shall be omitted.

4. In Schedule-II, serial numbers 9, 10 and 11 and entries relating thereto shall be omitted.

5. In Schedule-III, -

(a) in column number 4 corresponding to serial number 3, for the figure and word "35 years", the figure and word "30 years" shall be substituted; and

(b) serial numbers 4, 5 and 6 and entries relating thereto shall be omitted.

6. Below Schedule-III, the following shall be added, namely :-

"Note :- The upper age Limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time."

7. In Schedule-IV, serial number 2 and entries relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.